

संख्या शिक्षा-यू (जी-2)Gen/Misc.(PVT.Schools)/2021-22/- 1103-1105  
कार्यालय

उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा ऊना हि0प्र0

दिनांक:-19.03.2021

20/03/2021

सेवा में

समस्त निजी स्कूल प्रबन्धक/प्रिंसिपल/मुख्याध्यापक  
जिला ऊना हि0प्र0।

विषय:-

प्राइवेट शिक्षा संस्थानों में शिक्षा का अधिनियम 2009 की अनुपालना बारे।

ज्ञापन,

उपरोक्त विषयक मद पर दिनांक 18.03.2021 को उपायुक्त कार्यालय ऊना में Dr.R.G.Anand माननीय सदस्य NCPCR की अध्यक्षता में बैठक हुई।

बैठक में प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत सुविधाएं सुनिश्चित करवाने बारे चर्चा हुई। चर्चा के दौरान NCPCR के माननीय सदस्य ने समस्त प्राइवेट संस्थानों से निम्न सूचना प्राप्त कर प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं।

अतः आप समस्त निजी स्कूल प्रबन्धक/प्रिंसिपल/मुख्याध्यापक को निर्देश दिए जाते हैं कि सूचना निम्न प्रपत्र पर दस दिनों के भीतर-भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करे ताकि आपसे प्राप्त सूचना को संकलित कर माननीय NCPCR आयोग को अवगत करवाया जा सके।

क्र० सं०	शिक्षण संस्थान का नाम	पहली से आठवीं तक बच्चों की कुल संख्या	आपके शिक्षण संस्थान में RTE ACT 2009 की अनुपालना में क्या-क्या किया गया? विस्तृत विवरण दें।	क्या आपके संस्थानों में 25% weaker section reservation के तहत बच्चों को दाखिला दिया जा रहा है। यदि हां तो बच्चों का ब्यौरा दें। यदि नहीं तो कारण सपष्ट करें।

पृष्ठांकन सं सम  
प्रतिलिपि

- 1.उपायुक्त महोदय ऊना, जिला ऊना को दिनांक 18.03.2021 को हुई मीटिंग के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
- 2.जिला कार्यक्रम अधिकारी (बाल विकास) ऊना, जिला ऊना को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा,  
ऊना जिला ऊना (हि0प्र0)  
दिनांक सम

उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा,  
ऊना जिला ऊना (हि0प्र0)